न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम,
लखनऊ।

सेशन ट्रायल नं0– 1065/2019
आर.सी.–4(एस)/2019/सीबीआई/एससीबी/लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810/2018

दिनांक 27–03–2023

अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–55 प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–55 अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2018 को समय लगभग 11.00 बजे रात में लिखित शिकायत थाना कृष्णानगर लखनऊ में दर्ज कराई कि दिनांक 26.12.2018 को देवरिया जेल में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा जो लोग अतीक अहमद को जानते थे, जिनके साथ उसका वित्तीय विवाद था। जिस पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–810/18 धारा–147, 149, 386, 329, 364ए, 420, 467, 468, 471, 394, 506, 411, 120बी. भा0द0सं0 में दर्ज किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.4.2019 के अनुपालन में सी0बी0आई0 द्वारा दिनांक 12.6.2018 को प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल को दिनांक 26.12.2018 को अतीक अहमद (पूर्व एम.पी./एम.एल.ए.) के सहयोगियों द्वारा उसे उसके घर से जबरन अपहरण करते हुए देवरिया जेल ले जाया और बलपूर्वक शिकायतकर्ता की 4 फर्मो को अपने सहयोगी फारूख व जकी अहमद के नाम स्थानान्तरित करवा लिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसे मारते पीटते हुए उसकी कार को भी छीन ली गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा सोच समझ कर झूंठी दर्ज कराई गई क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 26.12.2018 को मिलने के समय के दौरान जेल में घटना घ ाटित हुई जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 28.12.2018 को दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता जानबूझ कर यह दिखाना चाहता है कि वह अतीक अहमद को नहीं जानता था और अतीक अहमद द्वारा उससे जबरन पैसे की वसूली की जा रही है जबकि सत्यता यह है कि शिकायतकर्ता पहले से ही अतीक अहमद को जानता था तथा वह अतीक अहमद के पारिवारिक समारोह में आता जाता था तथा मोबाइल के माध्यम से वॉटसएप पर सन्देशों का आदान प्रदान भी होता था। शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझ कर अपने वित्तीय मामलो को सुलझाने के लिए झूंठे कथनों के आधार पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता व आवेदक अभियुक्त के परिवार के मध्य व्यवसायिक सम्बन्ध रहे है और शिकायतकर्ता ने आवेदक अभियुक्त व उसके परिवार के सदस्यों से उसके व्यवसाय में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। यह भी कथन किया गया कि वर्ष 2016 में आवेदक अभियुक्त के परिवार ने शिकायतकर्ता की कम्पनी एम0जे0 इन्फ्रा प्रा0 लि0 में इन्वेस्ट किया था। वर्ष 2016 में अतीक अहमद के परिजन द्वारा शिकायतकर्ता की कम्पनी में निवेश किया गया जिसे शिकायतकर्ता द्वारा एन.सी.एल.टी. इलाहाबाद बेंच में धारा 241/242 कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका में स्वीकृत किया गया। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता व अतीक अहमद के मध्य व्यवसायिक अन्तर–विरोध होने के कारण आवेदक के विरूद्व फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसे आपराधिक रंग देने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का मुख्य कारण उसके द्वारा कम्पनी के वित्तीय मामलों में किया गया गबन था जो कि कम्पनी के वित्तीय विवरण वर्ष 2017–18 से स्पष्ट होता है। आवेदक/अभियुक्त को इस तथ्य का संज्ञान होने पर स्वयं शिकायतकर्ता कम्पनी में अतिरिक्त नामिनी को लाने के लिए सहमत हो

गया। इसी वजह से जकी अहमद व मो0 फारूख को कम्पनी का डायरेक्टर बनाया गया। वस्तुतः कम्पनी का बोर्ड आफ डायरेक्टर स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा ही बनाया गया और इससे सम्बन्धित फार्म आरओसी की साइट पर उसकी आडिटर राखी कपूर द्वारा अपलोड किया गया। इस प्रकार यह आरोप कि अतीक अहमद के सहयोगियों द्व ारा जबरन शिकायतकर्ता की कम्पनियों को जकी अहमद व मो0 फारूख को अन्तरित कर दिया गया था, निराधार है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने कम्पनी ट्रिब्यूनल में स्वीकार किया कि वह स्वेच्छया से अपने खुद के परिचित व्यक्ति के साथ देवरिया जेल आवेदक/अभियुक्त के पास गया था। शिकायतकर्ता सह अभियुक्त गुलाम सरवर व गुलाम मोइनुद्दीन से पहले से ही परिचित था। यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 26.12.18 को देवरिया जेल में घटित किसी घटना की सूचना नहीं है।शिकायतकर्ता के चिकित्सीय जांच तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुए विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता स्वेच्छया से जेल में प्रवेश करने के लिए सभी औपचारिकताये पूर्ण करने के बाद ही जेल में गया था। यह भी कथन किया गया कि प्रकरण के शिकायतकर्ता ने तथ्यों को छिपाते हुए आवेदक अभियुक्त के विरूद्व गलत तरीके से झूॅठे कथनों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा सही तरीके से विवेचना नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत व फर्जी है। उसके विरूद्व दर्ज कराई गई शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप बोगस व निराधार है। उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये बिना ही अविधिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग की गई और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब आवेदक/अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॉ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा उनके द्वारा रचित अपराधिक षडयंत्र के तहत शिकायतकर्ता को डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा उसका तथा उसकी बहन आरती जायसवाल के स्वामित्व वाली चारों फमो के निदेशक के पद से जबरन त्यागपत्र से सम्बन्धित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराते हुए अपने सहयोगियों जकी अहमद व मो0 फारूख को उक्त चारों कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व दिलवा दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई थी। शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल ने अपने बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में स्वीकार किया है कि आवेदक/अभियुक्त अतीक अहमद के डराने व धमकाने पर वह सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दीकी के आश्वासन पर कि उसके व अतीक अहमद के बीच समझौता कराना है, स्वयं की गाडी नं0 यू0पी032 जे आर 1804 फारच्यूनर से देवरिया जेल गया था, जहॉ आवेदक अभियुक्त अतीक अहमद तथा उसके सहयोगियों/सह अभियुक्तों ने उसे मारते पीटते हुए तथा डराते धमकाते हुए उसकी चारों कम्पनियों से त्यागपत्र तथा अन्य कई दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। इसके अलावा वादी मुकदमा से जबरन उसकी बहन आरती जायसवाल के भी हस्ताक्षर सम्बन्धित दस्तावेजों पर बनवा लिये।उसके उपरांत आवेदक अभियुक्त के निर्देश पर सह अभियुक्त जफरउल्ला ने उपरोक्त दस्तावेजों को सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह को दिया जिसने उपरोक्त दस्तावेजों को सह अभियुक्त सी0ए0 नितेश मिश्रा के कर्मचारी सह अभियुक्त महेन्द्र सिंह के मोबाइल पर वॉटसएप के माध्यम से भेजा, जो सह अभियुक्त नितेश मिश्रा के लखनऊ स्थित कार्यालय में मौजूद था। उसके उपरांत आवेदक अभियुक्त के साले सह अभियुक्त जकी अहमद व सह अभियुक्त नितेश मिश्रा ने अपने डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से आरओसी की साइट पर अपलोड कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता की चारों कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व सह अभियुक्त जकी अहमद व मो0 फारूख के पास आ गया।

घटना की एफ0आई0आर0 दर्ज होने के पश्चात यह दर्शाने के लिए कि शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल ने स्वेच्छया से अपनी चारों कम्पनियों से त्याग पत्र दिया है, सह अभियुक्त मो0 फारूख के बैंक एकाउन्ट से शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल के खाते में धनराशि भी अन्तरित किया गया है।सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में शिकायतकर्ता तथा उसकी बहन आरती जायसवाल के नमूना हस्ताक्षर व हस्तलेख तथा प्रश्नगत हस्ताक्षर व हस्तलेख सीएफएसएल नई दिल्ली मिलान हेतु तथा विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने हेतु भेजे गये थे जिसकी आख्यानुसार शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल के कार्यालय, जो घटना के समय अभियुक्त अतीक अहमद तथा सह अभियुक्त जकी अहमद और मो0 फारूख के नियंत्रण में था, में मौजूद हार्ड डिस्क का परीक्षण करने से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत त्यागपत्र अभियुक्तगण के नियंत्रणाधीन कार्यालय के कम्प्यूटर में अपराधिक षडयंत्र के तहत पहले से ही कूट रचना कर तैयार कर लिया गया था जिस पर शिकायतकर्ता के व उसकी बहन के बलपूर्वक हस्ताक्षर बनवा लिये गये। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत प्रश्नगत सेटेलमेंट एग्रीमेंट की कूट रचना कर आरओसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

यह भी मौखिक रूप से तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल के लखनऊ स्थित कार्यालय जिसको आवेदक अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी सह अभियुक्तगण मो0 फारूख व जकी अहमद ने अपने कब्जे में ले लिया था, में स्थित कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क की सीएफएसल भोपाल की जांच से शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल व उसकी बहन आरती जायसवाल के उनकी कम्पनियों से त्यागपत्र का ड्राफ्ट हार्ड डिस्क से प्राप्त हुआ।

सी0बी0आई0 द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मारपीट में आई चोटों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण अपोलो मेडिक हास्पिटल लखनऊ में किया गया। मेडिको रिपोर्ट में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता के हाथ की उंगली टूट गई थी तथा अन्य गम्भीर चोटे आई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित किया गया था कि शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल द्वारा दिनांक 26.12. 2018 को समय करीब 3.बजे अपराहन देवरिया जेल में कुछ लोगों के समूह द्वारा उसको मारा पीटा गया था। शुरू में शिकायतकर्ता मेन्टल शॉक में था। बाद में उसने थाना कृष्णानगर लखनऊ में 28.12.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और लोक बंधु अस्पताल शासकीय अस्पताल में उसका पुनः विधिक चिकित्सीय परीक्षण हुआ जिसमें अपोलो मेडिक हास्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट में वर्णित रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए अन्य चोटे भी दर्शाई गई है।

आवेदक अभियुक्त का उपरोक्त प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना पाते हुए आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है। आरोप पत्र के साथ गवाहों के बयान व दस्तावेजों की सूची भी दाखिल की गई है जिसमें आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा व एक अन्य साक्षी,जो कि घटना के समय देवरिया जेल के उसी बैरक में निरूद्व था, किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत इस स्तर पर उक्त साक्षी का नाम प्रकट नहीं किया गया, का बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 अभियुक्त की सीडीआर, शिकायतकर्ता की मेडिको लीगल रिपोर्ट, सीएफएसलएल रिपोर्ट आदि भी पत्रावली पर उपलब्ध है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचनोंपरांत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है और अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत करते हुए इस बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित कराया है कि उनके विरूद्व उन धाराओं में आरोप विरचित किया जाय जो कि प्रथम दृष्टया अपराध अभियोजन दस्तावेजों से आकृष्ट होते हो न कि उन सभी धाराओं में जो आरोप पत्र में उनके विरूद्व उल्लेखित किये गये है। यह भी तर्क दिया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में डिजीटल हस्ताक्षर का दुरूपयोग किये जाने का आरोप है न कि कूट रचित हस्ताक्षर बनाये जाने का आरोप है। ऐसे में धारा 467, 468 भा0द0सं0 का अपराध उनके विरूद्व आकृष्ट नहीं होता है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रकरण से सम्बन्धित शिकायतकर्ता के स्वयं के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान के अनुसार वह अपनी मर्जी से देवरिया जेल गुलाम मोइनुद्दीन के साथ गया था। उसे कोई भय या धमकी नहीं दी गई थी, जो धारा 364ए भा0द0सं0 के अपराध के लिए आवश्यक है। अतः सम्बन्धित प्रकरण में धारा 364ए भा0द0सं0 के आवश्यक तत्वों का अभाव है।

बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि सम्बन्धित प्रकरण में अभियोजन कथनानुसार अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा फोन करके मामले के शिकायतकर्ता को जेल बुलाया गया था तथा जेल बुलाये जाने के सन्दर्भ में अभियोजन द्वारा कोई भी ऐसा विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो प्रथम दृष्टया इस तथ्य को साबित करता है

इसके विपरीत सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल का अपहरण कर सभी अभियुक्तगण द्वारा रचित आपराधिक षडयंत्र के तहत उसे देवरिया जेल ले जाया गया, जहॉ आवेदक अभियुक्त अतीक अहमद तथा उनके सहयोगियों द्वारा शिकायतकर्ता को बुरी तरह से मार पीट कर तथा डरा धमका कर शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल से उनकी 4 कम्पनियों के निदेशक के पद से जबरन त्यागपत्र से सम्बन्धित दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता से हस्ताक्षर करा कर सह अभियुक्तगण जकी अहमद व मो0 फारूख को उपरोक्त कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व दिला दिया। उक्त सम्पूर्ण घटना में आवेदक अभियुक्त अतीक अहमद मुख्य रूप से शामिल था। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत प्रश्नगत सेटेलमेंट एग्रीमेंट की कूट रचना कर आरओसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल को अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा डराया व धमकाया गया था तथा सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन द्वारा शिकायतकर्ता को यह झूंठा आश्वासन देकर देवरिया जेल ले जाया गया कि मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद व उसके बीच विवादों का निपटारा करा दिया जायेगा। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा जिस मोबाइल नम्बर से शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल को डराया व धमकाया गया था उस मोबाइल सिम को उसने सह अभियुक्तगण मो0 हमजा तथा मो0 आमिर कुरैशी के माध्यम से छल से व बेईमानीपूर्ण तरीके से प्राप्त करते हुए, उपयोग किया गया। आवेदक अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त का उपरोक्त प्रकरण में अन्य सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना पाते हुए आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है और उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्व करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

विधि व्यवस्था **प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60)**

एसीसी 59 H.C.D.B. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया गया है।

इस प्रकरण में आवेदक अभियुक्त मुख्य आरोपी है। अभियोजन कथानक के अनुसार जेल में बंद रहने के दौरान अतीक अहमद के कहने पर उनके साथियों द्वारा मामले के वादी मुकदमा का अपहरण करके उसे देवरिया जेल ले जाया गया तथा शिकायतकर्ता की फर्मो को अपने सहयोगियों, मामले के सह अभियुक्तगण के नाम, अन्तरित करा लिया गया। लगाये गये इस आरोप के संदर्भ में सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना के दौरान मौखिक, दस्तावेजी एवं इलेक्टानिक साक्ष्य संकलित करते हुए अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिस पर इस न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।

अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य अभियुक्त के रूप में नामजद है। घटना में संलिप्तता के विषय में शिकायतकर्ता द्वारा विशिष्ट रूप से अभियुक्त के नाम का उल्लेख अपने बयान धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 में भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन के कथनानुसार अन्य मौखिक साक्षियों द्वारा भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जैसे की मोबाइल टॉवर की लोकेशन, सीडीआर तथा विशेषज्ञ की राय भी अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में बतौर साक्ष्य संकलित करते हुए उसे आरोप पत्र के साथ साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। बचाव पक्ष द्वारा जो मुख्य रूप से तर्क दिये गये है उन सभी तर्को का विशिष्ट रूप से सी0बी0आई0 के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा प्रतिउत्तर भी दिया गया है। न्यायालय को इस स्तर पर मात्र यह देखना है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों के सन्दर्भ में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है कि नही, जो कि उनके विरूद्व गम्भीर सन्देह उत्पन्न करते हो। इस प्रकरण में तर्को एवं पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अभियुक्त पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। जहॉ तक प्रश्न बचाव पक्ष द्वारा उठाये गये मुख्य तर्को का है, उस पर न्यायिक अभिमत, गुण–दोष पर विचार किये जाने तथा साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत ही दिया जाना सम्भव है। ऐसे में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्क इस स्तर पर औचित्यहीन हो जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा दिया गया उन्मोचन प्रार्थना पत्र उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–55 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–27.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.27 14:40:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court